भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 363

सोमवार, 24 जून, 2019 / 3 आषाढ़, 1941 (शक)

बाल श्रम की घटनाएं

363. श्री नलीन कुमार कटील:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि देश में बाल मजदूरी, बंधुआ मजदूरी और बेगारी की कई घटनाएं रिपोर्ट नहीं की जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार बाल मजदूरी, बंधुआ मजदूरी और बेगारी की रिपोर्ट नहीं की गई घटनाओं का पता लगाने और ऐसी गतिविधियों को समाप्त करने के लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए कोई उपाय कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (घ): बाल श्रम, बंधुआ श्रम एवं बलात श्रम विभिन्न सामाजिक-आर्थिक समस्याओं जैसे गरीबी, आर्थिक पिछड़ापन और निरक्षरता का परिणाम हैं।

बाल श्रम के उन्मूलन हेतु, केन्द्र सरकार ने बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2016 अधिनियमित किया है जो 01.09.2016 से प्रवृत्त हुआ। संशोधित अधिनियम में अन्य बातों के साथ-साथ 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का सभी व्यवसायों एवं प्रक्रियाओं में नियोजन अथवा कार्य पर पूर्ण प्रतिबंध तथा 14 से 18 वर्ष की आयु समूह के किशोरों का जोखिमकारी व्यवसायों अथवा प्रक्रियाओं में नियोजन पर प्रतिषेध का प्रावधान है। इस संशोधित

जारी...2/-

अधिनियम में इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन हेतु नियोक्ताओं के लिए कठोर दंड का भी प्रावधान है तथा इस अपराध को संज्ञेय बनाया है।

सरकार बाल श्रमिकों के पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना(एनसीएलपी) स्कीम का कार्यान्वयन भी कर रही है। एनसीएलपी स्कीम के अंतर्गत, 9-14 वर्ष के आयु समूह के बच्चों को कार्य से बचाया/छुड़ाया जाता है तथा एनसीएलपी विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों में नामांकित किया जाता है, जहां उन्हें औपचारिक शिक्षा पद्धति की मुख्यधारा में लाने से पहले ब्रिज शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, मध्याह्न भोजन, वजीफा, स्वास्थ्य देखरेख, आदि उपलब्ध कराये जाते हैं। 5-8 वर्ष के आयु समूह के बच्चों को सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के निकट समन्वय के माध्यम से सीधे औपचारिक शिक्षा पद्धति से जोड़ा जाता है।

बंधुआ श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 द्वारा प्रतिस्थापित किए गए बंधुआ श्रम पद्धति (उत्सादन) अध्यादेश के अंतर्गत 25 अक्तूबर, 1975 से विधि द्वारा समस्त देश में बंधुआ श्रम पद्धति को समाप्त कर दिया गया है। जब भी बंधुआ श्रमिकों के होने का पता चलता है, पुनर्वास हेतु ऐसे व्यक्तियों की पहचान की जाती है। बंधुआ श्रमिकों की पहचान और पुनर्वास का उत्तरदायित्व संबंधित राज्य सरकारों का है। केन्द्र सरकार “बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास हेतु केन्द्रीय क्षेत्र की योजना-2016” के अंतर्गत प्रतिपूर्ति के रूप में राज्य सरकारों को निधियां उपलब्ध कराती है।

****